VPSEC/RTI/R/20/0007

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस–55/01–आरटीआई/39/2020–21 22 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

श्री मिथुन सिंह राजपूत,
मकान नं. 286, वी.पी.ओ. उजवा,
नई दिल्ली–110073

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

कृपया अपने दिनांक .... के पत्र जोकि इस सचिवालय में 16.10.2020 को प्राप्त हुआ है तथा जिसके साथ आपने दस रूपये का पो.आ.सं. 47एफ 375833 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पुलिस थाना तिलक नगर, नई दिल्ली के पुलिस कर्मियों द्वारा झूठी प्राथमिकी दर्ज करने व मानसिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के विषय में शिकायत की है तथा उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाई की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना की विषय वस्तु इस सचिवालय से संबंधित नहीं है। आपके पत्र की विषय–वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः आपको परामर्श है कि इस विषय में आप सीधे दिल्ली पुलिस के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से संपर्क करें। इस सचिवालय के पास आपके आवेदन में उठाए गए बिंदुओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के तहत स्पष्ट करने हेतु कोई जानकारी नहीं है।

अतः आपका पत्र मूल रूप में दस रूपये के पो.आ.सं. 47एफ 375833 सहित आपको लौटाया जा रहा है। आशा है आप स्थिति से अवगत होंगे।

साथ ही आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा भेजी गई दिनांक 19.09.2020 की याचिका इस सचिवालय में 19.09.2020 को प्राप्त हुई थी। जोकि दिनांक 01.10.2020 को श्रीयुत, पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली, को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी गई थी। (प्रति संलग्न)

धन्यवाद,

भवदीय,

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

DC

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस 01.10.2020 (पी)

01 अक्टूबर, 2020

श्रीयुत पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस,
दिल्ली।

प्रिय महोदय,

श्री मिथुन सिंह राजपूत, मकान नं0 286, वी.पी.ओ उजवा, नई दिल्ली, पिन 110073 का दिनांक 19.09.2020 का पत्र इस सचिवालय में 19.09.2020 को प्राप्त हुआ है। अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित कार्यवाही/ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ –
श्री मिथुन सिंह राजपूत, मकान नं0 286, वी.पी.ओ उजवा, नई दिल्ली, पिन 110073 का हैं।

कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)

आर टी आई अधिनियम के तहत आपूर्ति किए गए दस्तावेज़/रिकार्ड की सच्ची प्रति।

हुरबी शकील
5.10.2020
हुरबी शकील/Hurbi Shakeel
अवर सचिव/Under Secretary
उपराष्ट्रपति सचिवालय/Vice-President's Secretariat
नई दिल्ली/New Delhi

RTI No. 39

Vice President's Secretariat New Delhi Dy.No. 16 Date 16/10/20

सेवा में

माननीय जन सूचना अधिकारी महोदय

उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार

न्यू दिल्ली

विषय जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र।

Refron

महोदय

दिनांक 15/10/20 को समय 2:45 Pm हमारी ईमेल आईडी anticrimeandcorruptionindia@gmail.com से आपकी ईमेल आईडी vpindia@nic.in पर पीएस तिलक नगर के अधिकारियों के द्वारा फर्जी FIR दर्ज करके जबरन थाने में काफी काफी समय बिठाकर रखना व 2 लाख रुपए देने के लिए प्रताड़ित करना और 40.000 रुपए रिश्वत लेकर थाने से जाने देना और अगले दिन सुबह बाकी पैसे के लिए के लिए प्रताड़ित करना ओर प्रार्थी के द्वारा अपनी गोल्ड की अंगुठी मुथूट फिनकॉर्प ब्रांच महावीर नगर में गिरवी रख कर दिए गए उपरोक्त भ्रष्ट अधिकारी को paytm अकाउंट में देने के लिए शिकायत कि गई थीं उसके बारे में आपके कार्यालय से निम्नलिखित जानकारी चाहते हैं।

(1) दिनांक 15/10/20 से आज तक आपके कार्यालय के द्वारा इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्यवाही की गई है उसकी सभी प्रोगेश रिपॉर्ट दी जाए और कार्यवाही नहीं कि गई तो क्यों नहीं कि गई इन भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव क्यों किया का रहा है।

(2) दिनांक 15/10/20 से आज तक उपरोक्त FIR no. 485/19 Dated - 25/09/2019 का investigation officer si Anuj ps तिलक नगर है या शिकायत मिलने के बाद एसीपी डीसीपी के ऑर्डर पर किसी अन्य department विजिलेंस टीम से इनकी investigation करवाई गई थीं या नहीं si Anuj को ही आईओ रहने दिया गया इसकी सम्पूर्ण जानकारी दी जाए।

(3) क्या एक भ्रष्ट अधिकारी जिसकी शिकायत करने के बाद जिसके खिलाफ इतने मजबूत एविडेन्स है फिर भी आपके डिपार्टमेंट ने उपरोक्त आईओ व sho का बचाव क्यों किया क्यों FIR दर्ज नहीं की गई अभी तक कारण स्पष्ट करके बताया जाए।

आवेदक

एम एस राजपूत

अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश

एंटी क्राइम एंड करप्शन इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट

286 वीपीओ उजवा न्यू दिल्ली 110073

9891252124